न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 149/2020

1. सज्जन कुमार पुत्र तन्सुख जाति जाट निवासी फेफाना त0 नोहर।

:- वादी

ब नाम

1. तन्सुख पुत्र लिखमाराम जाति जाट निवासी फेफाना त0 नोहर।
2. रोशनी पुत्री तन्सुख जाति जाट निवासी फेफाना त0 नोहर।
3. समेरता पुत्री तन्सुख जाति जाट निवासी फेफाना त0 नोहर।
4. अजय पुत्र जगतपाल जाति जाट निवासी गुडिया खेडा जिला सिरसा।
5. मुकेश पुत्र जगतपाल जाति जाट निवासी गुडिया खेडा जिला सिरसा।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुंशीराम गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सुरजीत बिजारणियां की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा घेऊ के खाता सं0 162/152 के खसरा सं0 681 की 3.655है0, खसरा सं0 731 की 10.383है0 कुल 14.038है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 तन्सुख के नाम से 1/9 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। में से प्रतिवादी सं0 1 तन्सुख का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादी स0 1 ता 5 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया हैं इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सज्जन कुमार को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 22-2-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:33:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 149/2020

1. सज्जन कुमार पुत्र तन्सुख जाति जाट निवासी फेफाना त0 नोहर।

:– वादी

ब ना म

1. तन्सुख पुत्र लिखमाराम जाति जाट निवासी फेफाना त0 नोहर।
2. रोशनी पुत्री तन्सुख जाति जाट निवासी फेफाना त0 नोहर।
3. समेस्ता पुत्री तन्सुख जाति जाट निवासी फेफाना त0 नोहर।
4. अजय पुत्र जगतपाल जाति जाट निवासी गुडिया खेडा जिला सिरसा।
5. मुकेश पुत्र जगतपाल जाति जाट निवासी गुडिया खेडा जिला सिरसा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री मुंशीराम गोस्वामी **: वादी**
वकील श्री सुरजीत बिजारणियां **: प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक :** 22-2-2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि घेऊ के खाता सं0 162/152 के खसरा सं0 681 की 3.655है0, खसरा सं0 731 की 10.383है0 कुल 14.038है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 तन्सुख के नाम से 1/9 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 तन्सुख ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 5 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादीगण गण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:33:47 IST
Reason: SelfAttested

साक्ष्य वादी में पी०डब्ल्यू 1 सज्जन कुमार पुत्र तन्सुख जाति जाट निवासी फेफाना के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य [illegible] प्रतिलिपि जमाबंदी रोही घेऊ प्रदर्श 1, जमाबंदी रोही घेऊ भूप्रबंध विभाग प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र विमला प्रदर्श 3, मृत्यु प्रमाण पत्र विमला प्रदर्श 4, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत फेफाना प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें

Scanned with CamScanner

वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने घेऊ के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 5 में वारिसप्रमाण पत्र में तन्सुख के एक पुत्र सज्जन कुमार व तीन पुत्री विमला, रोशनी देवी, समस्ता **चुंकि विमला की मृत्यु होने के कारण विमला के वारिसान में दो पुत्र अजय व मुकेश के** अलावा अन्य कोई वारिस होना नहीं बताया गया है। वाद भूमि रोही मोजा घेऊ के खाता सं0 162/152 के खसरा सं0 681 की 3.655है0, खसरा सं0 731 की 10.383है0 कुल 14.038है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 तन्सुख के नाम से 1/9 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। में से प्रतिवादी सं0 1 तन्सुख का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार घोषित किये जावें। चुकिं प्रतिवादी सं 1 ता 5 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा घेऊ के खाता सं0 162/152 के खसरा सं0 681 की 3.655है0, खसरा सं0 731 की 10.383है0 कुल 14.038है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 तन्सुख के नाम से 1/9 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। में से प्रतिवादी सं0 1 तन्सुख का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादी स0 1 ता 5 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सज्जन कुमार को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पच डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22-2-2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खु न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:33:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner